ई–गर्वनेस सोसाईटी (आर0एल0ए0) संगडाह, जिला सिरमौर की उपयोक्ता प्रभार निधि के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवेदन
अवधि 12/2012 से 3/2015

1 प्रारम्भिक

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या TPT-F(1)-3/2000-e-Governance दिनांक 3.9.2015 के दृष्टिगत, ई–गर्वनेस सोसाईटी (आर0एल0ए0) संगडाह, जिला सिरमौर की उपयोक्ता प्रभार निधि के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) श्री हेमराज भारद्वाज व श्री वीरेन्द्र अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 26.8.2015 व 27.8.2015 को उपमण्डलाधिकारी (नागरिक)–संगडाह के कार्यालय में सम्पन्न किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में वर्णित है।

(ख) सोसाईटी के निधि लेखों के अंकेक्षण के दौरान विस्तृत अंकेक्षण हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013–14	08/13	10/13
2014–15	04/14	07/14

(ग) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी सोसाईटी के अध्यक्ष तथा सदस्य एवं आहरण व सवितरण अधिकारी (आर.एल.ए0) के पदों पर कार्यरत रहे।

(i) अध्यक्ष

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	अवधि
1	Sh. Padam Singh Chauhan IAS	DC, Sirmour	30.04.12 से 04.01.13
2	Sh. Priyatu Mandal, IAS	DC, Sirmour	04.01.13 से 04.07.13
3	Sh. Vikas Labru, IAS	DC, Sirmour	04.07.13 से 27.08.14
4	Sh. Ritesh Chauhan, IAS	DC, Sirmour	27.08.14 से 31.03.15

(ii) सदस्य एवं आहरण व सवितरण अधिकारी (आर0एल0ए0)

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	अवधि
1	Sh. Dalip Kumar Negi, HAS	SDM, Sangrah	08.06.12 से 11.01.03
2	Sh. Harbans Singh, HAS	SDM, Sangrah	16.01.13 से 19.07.14
3	Sh. Sidharatha Acharya, HAS	SDM, Sangrah	19.07.14 से 12.08.14
4	Sh. Ashok Chauhan, HAS	SDM, Sangrah	25.08.14 से 31.03.15

(घ) वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ई–नर्वनेस सोसाईटी (आर0एल0ए0)–संगडाह द्वारा उपलबध करवाए गए अभिलेख व सूचनाओं पर आधारित है। सोसाईटी द्वारा अंकेक्षण को

उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के गलत होने, अपूर्ण होने अथवा उपलबध ही न होने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

(ङ) गम्भीर अनियमितताओं का सार

क्र0 सं0	**विवरण**	**पैरा सं0**	**राशि (लाखों में)**
1	उपयोक्ता प्रभार में से परिवहन विभाग के 25% हिस्से की राशि को आय के गलत शीर्ष में जमा करना	5	—
2	उपयोक्ता प्रभार से प्राप्त कुल आय में से 25% हिस्से की राशि को परिवहन विभाग के खाते में कम जमा करना	6	—

2 अंकेक्षण शुल्कः—

सोसाईटी के अवधि 12/2012 से 3/2015 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण एवं निरीक्षण शुल्क ₹4000 आंका गया, जिसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को भेजने हेतु सहायक नियंत्रक (ले0प0) की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः103/2015 दिनांक 24.8.2015 द्वारा आहरण व सवितरण अधिकारी (आर0एल0ए0)—संगडाह से अनुरोध किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में उपमण्डलाधिकारी (नागरिक)/सदस्य एवं आहरण व सवितरण अधिकारी (आर0एल0ए0) द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण शुल्क की उक्त ₹4000 को यूको बैंक संगडाह के डिमांड ड्राफ्ट संख्याः115647 दिनांक 31.8.2015 के माध्यम से पंजीकृत पत्र संख्या : SDM(e-governance)/2015,-14056 दिनांक 31.8.2015 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला—9 को भेज दिया गया है।

3 वित्तीय स्थिति

(क) ई—गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) संगडाह द्वारा प्रस्तुत सोसाईटी की अवधि 4/2013 से 3/2015 की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क"** पर भी दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	**आरम्भिक शेष**	**आय/प्राप्तियां**	**ब्याज**	**कुल योग**	**व्यय/भुगतान**	**अन्त शेष**
2012—13	-	1200	Nill	1200	Nill	1200

2013–14	1200	191190	600	192990	185141	7849
2014–15	7849	362861	2382	373092	333863	39229

(ख) रोकड़ वही/वित्तीय स्थिति तथा बैंक खातों में अन्त शेष में निम्न विवरणानुसार पाया गया

दिनांक 31.3.2015 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ वही के अनुसार शेष **39229**

दिनांक 31.3.2015 को हस्तगत रोकड़ वही व बैंक खातों के अनुसार शेष

क्रमांक	बैंक का नाम	खाता सं0	शेष जमा राशि	
1	Cash in hand		4055	
2	Uco Bank-Sangrah	07630110050484	317	
3	Uco Bank-Sangrah	07630110050798	1080146	
		कुल जोड़	**1084518**	1084518

दिनांक 31.3.2015 को वित्तीय स्थिति एवं हस्तगत रोकड़ व बैंक खातों में दर्शाए गए शेषों में अन्तर (बैंक खातों में अधिक जमा) **₹1045289**

(ग) **Bank Reconciliation Statement as on 31-3-2015**

Closing Balance as per financial position 39229

LESS non brought forwarding of closing cash in hand on 8.10.2013 as opening balance to next day 9.10.2013/ 10.12.2013 in cash book (-) 237

ADD Cr./ Dr. of transactions of other A/cs in UCO Bank A/c No. 0763011005078 as per detail:-

Date	**Amount (₹ में)**		
	Debit	**Credit**	
27.03.15		83416	
31.03.15	111512	1073622	
Nett. Credit Amount	111512	1157038	(+)1045526
Closing Balance as per Bank in Saving A/c & Cash in hand			**1084518**

(i) अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि यूको बैंक बचत खाता संख्याः 0763011005078 में ई–गर्वनेस सोसाईटी के अतिरिक्त अन्य खातों से सम्बन्धित लेन–देन भी किया गया तथा चर्चा के दौरान मौखिक तौर पर सूचित किया गया कि यह लेन–देन उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) के कार्यालय व्यय (OE) हेतु किया जा रहा था तथा दिनांक 31.03.2015 तक उक्त बैंक समाधान विवरणी में वर्णित विवरण के अनुसार अन्य खातों की शेष ₹1045526(Cr.) जमा थी, जबकि नियमानुसार ई–गर्वनेस सोसाईटी (RLA) का अलग से स्वतंत्र बैंक बचत खाता रखा

जाना अपेक्षित है, ताकि लेन–देन की सत्यता बनी रहे तथा इसकी अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव हो सके। अतः परामर्श दिया जाता है कि उक्त अन्तर की राशियों को सम्बन्धित खातों में हस्तान्तरित करवाया जाए तथा भविष्य में ई–गर्वनेस सोसाईटी (RLA) निधि के बैंक बचत खाते से अन्य खातों से सम्बन्धित लेन–देन किया जाने का परिहार किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ii) इसके अतिरिक्त रोकड़ वही के योग की जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 8.10.2013 को रोकड़ वही में हस्तगत शेष ₹237 था, जबकि दिनांक 9.10.2013/10.12.2013 को रोकड़ वही में आरम्भिक हस्तगत शेष शून्य लिया गया था तथा इस कारण रोकड़ वही में हस्तगत शेष गणना में ₹237 कम पाई गई, जिसकी पूर्ण छानबीन के उपरान्त इसकी वसूली उचित स्त्रोत से ब्याज सहित करनी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4 उपयोक्ता प्रभार से प्राप्त आय के निर्धारित हिस्से की राशि को समयानुसार खातों में जमा न करवाना

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 को उपयोक्ता प्रभार निधि से प्राप्त आय की ₹4055 को दिनांक 6.4. 2015/16.4.2015 को जमा करवाया गया था, जबकि जिलाधीश–सिरमौर एवम अध्यक्ष ई–गर्वनेस सोसाईटी के पत्र संख्याः DN-DC(EGOS-Meeting)/0988461 दिनांक 16.12.2013 द्वारा लिए गए निर्णयानुसार वर्णित आय की राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करवाई जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि सोसाईटी द्वारा आय को प्रायः देरी से ही बैंक में जमा करवाया गया है तथा कई प्रकरणों में तो देरी कई महीनों कम राशि जमा करवाई जा रही है जैसा कि निम्न विवरणानुसार प्रस्तुत कुछ प्रकरणों से स्पष्ट विदित होता है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में प्राप्त आय को तुरंत बैंक में नियत तिथि के भीतर ही जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तत्पष्चात सम्बन्धित अधिकारियों के पास भी राशियां अपेक्षित नियत तिथि पर ही जमा करवाई जाए। इस सन्दर्भ में अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

आय प्राप्ति की अवधि	राशि (₹ में)	बैंक में जमा तिथि	25% हिस्सा जमा करने का चालान संख्या व तिथि	75% हिस्सा जमा करने की तिथि
Dec.,12	1200	22.01.2013	1/31.08.2013	31.08.2013
1/13 to 3/13	6650	05.04.2013	1/31.08.2013	31.08.2013

4/13	2870	08.05.2013	1/31.08.2013	31.08.2013
5/13	3040	04.06.2013	1/31.08.2013	31.08.2013
6/13 & 7/13	18420	08.08.2013	1/31.08.2013	31.08.2013
8/13	7370	30.08.2013	1/31.08.2013	31.08.2013

5 उपयोक्ता प्रभार निधि से प्राप्त आय की राशि में से परिवहन विभाग के 25% हिस्से की ₹49036 को आय के गलत शीर्ष में जमा करने बारे

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार उपयोक्ता प्रभार निधि से प्राप्त आय की राशि में से परिवहन विभाग के 25% हिस्से की राशि को आय के गलत शीर्ष "0041-Taxes on Vehicles, 101-Receipt, under the Indian Motor Vehicle act, 02-Registration fee/Inspection fee में जमा किया गया था जबकि शीर्ष "1055-Road Transport, 800-other receipts- Miscellaneous receipts from Societies" में जमा किया जाना अपेक्षित था जैसा कि परिवहन विभाग, हि0प्र0 सरकार की अधिसूचना संख्याः TPT-F(1)-3/2000-E-Governance दिनांक 03.09.2005 के पैरा संख्या :3(a) के बिन्दु–3 के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है। अतः इस अनियमितता का संज्ञान लेते हुए इस प्रकरण में सस्था स्तर पर जांच करके अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा भविष्य में वर्णित हिस्से की राशि को उचित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत ही जमा करवाया जाना सुनिश्चित करते हुए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	आय प्राप्ति की अवधि	रोकड़ वही पृष्ठ संख्या/तिथि	राशि जमा करने का चालान संख्या/तिथि	25% हिस्सा की राशि
1	12/12 to 21.08.13	4/31.08.2013	9890	1/02.09.2013
2	22.08.13 to 11.09.13	4/20.09.2013	115	3/12.09.2013
3	12.09.13 to 20.09.13	4/22.09.2013	288	1/21.09.2013
4	21.09.13 to 07.10.13	4/08.10.2013	1978	1/08.10.2013
5	08.10.13 to 07.12.13	0/10.12.2013	1940	2/10.12.2013
6	08.12.13 to 29.03.14	0/04.04.2014	10419	1/09.04.2014
7	01.04.2014 to 05.07.14	1/08.07.2014	7511	4/08.07.2014
8	06.07.14 to	2/05.09.2014	4545	2/05.09.2014

	26.08.14			
9	27.08.14 to 16.09.14	2/16.09.2014	1829	4/17.09.2014
10	17.09.14 to 22.09.14	3/23.09.2014	276	4/23.09.2014
11	23.09.14 to 18.10.14	3/27.10.2014	474	4/27.10.2014
12	19.10.14 to 31.12.14	3/07.01.2015	5487	5/08.01.2015
13	Jan., 2015	5/09.02.2015	955	9/09.02.2015
14	Feb., 2015	5/21.03.2013	2315	5/21.03.2015
15	March., 2015	6/06.04.2015	1014	5/06.04.2015
		कुल योग	**₹49036**	

6 उपरोक्ता प्रभार निधि के रूप में प्राप्त कुल आय में से परिवहन विभाग के खाते में 25% हिस्से की ₹5093 को कम जमा करने बारे

अंकेक्षण को परिशिष्ट–"क" द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं इससे सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए अभिलेख की जांच के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार उपयोक्ता प्रभार निधि के रूप में प्राप्त कुल आय में से परिवहन विभाग के 25% हिस्से की ₹5093 परिवहन विभाग के खाते में कम जमा करवाई गई, जोकि अनियमित है। अतः अब इस अनियमितता का समाधान करने हेतु भविष्य में प्राप्त आय के हिस्से की राशि के आय उक्त वर्णित ₹5093 को भी परिवहन विभाग के खाते में उचित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

वित्तीय वर्ष	कुल प्राप्त आय (₹ में)	25% हिस्से की देय राशि (₹ में)	चालान द्वारा जमा राशि (₹ में)	कम जमा राशि (₹ में)	अभियुक्ति
2012-13	1200	300	Nil	300	चालान द्वारा जमा कुल राशि का विवरण पैरा संख्या 5 में वर्णित है तथा ₹1014 वर्ष 2014–15 की अगले वित्तीय वर्ष 2015–16 में दिनांक 06.04. 2015 को जमा
2013-14	64290	16073	14211	1862	
2014-15	151025	37756	33811+1014= 34825	2931	
कुल जोड़	216515	54129	= 49036	5093	

करवाई गई है

7 ई–गर्वनेस सोसाईटी (RLA) निधि से किए गए व्यय को लेखों का पृथकता से रख–रखाव न करना

चयनित माह के व्यय/भुगतान वाउचरों से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि सोसाईटी का व्यय जिलाधीश–सिरमौर एवं अध्यक्ष ई–गर्वनेस सोसाईटी द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही Imprest राशि में से किया गया था तथा इस राशि में से कितनी राशि ई–गर्वनेस सोसाईटी (RLA) निधि से सम्बन्धित थी और कितनी अन्य निधियों से सम्बन्धित थी, इसका कोई भी विवरण/अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार कितनी राशि का व्यय ई–गर्वनेस सोसाईटी (RLA) निधि से किया गया था, इसका पृथकता से रख–रखाव नहीं किया गया था, जिसके अभाव में किया गया अमुक व्यय निधि पर उचित प्रभार था या नहीं, इसकी सत्यपना अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में ई–गर्वनेस सोसाईटी (RLA) निधि से किए गए व्यय का लेखों में नियमानुसार स्वतंत्र/पृथकता से रख–रखाव करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि यथानुसार व्यय का अंकेक्षण सम्भव हो सके।

8 स्टॉक रजिस्टरों तथा मुरम्मत रजिस्टरों का रख–रखाव न करना

चयनित माह के व्यय/भुगतान वाउचरों के अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि क्रय की गई मदों और वस्तुओं की मुरम्मत से सम्बन्धित रजिस्टरों का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में निम्न विवरणानुसार क्रय की गई विभिन्न मदों और वस्तुओं की मुरम्मत पर हुए व्यय की जांच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः इस सम्बन्ध में वर्णित अपेक्षित अभिलेख का नियमानुसार उचित रख–रखाव सुनिश्चित किया जाए तथा निम्न विवरणानुसार किए गए मुरम्मत के व्यय की औचित्यता के अतिरिक्त क्रय की गई वस्तुओं की भौतिक सत्यापना सक्षम अधिकारी से करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	विक्रेता का विवरण	क्रय वस्तुओं व मुरम्मत का विवरण	रोकड़ वही पृष्ठ	दिनांक	चैक संख्या	दिनांक	भुगतान की राशि (₹ में)
1	M/s Megha computer-Nahan. Bill no.	Repair of compurter, printer &	शून्य	10.10.13	434545	10.10.13	2650

	119/21.08.13	installation of RAM, new SMPs, window software & driver, CD bag					
2	M/s Megha computer-Nahan. Bill no. 161/08.10.13	New HDD, RAM installation of windows driver, software & system repair etc.	शून्य	10.10.13	434545	10.10.13	4650
3	M/s New Universal Type Service Center-Nahan. Bill no. 1042/21.10.13	Assembly service of Laserjet printer	1	22.10.13	434546	22.10.13	9850
4	M/s New Universal Type Service Center-Nahan. Bill no. 1043/21.10.13	Pick up gear & paper tray of Laserjet printer	1	22.10.13	434546	22.10.13	150
5	M/s Megha Computers-Nahan. Bill no. 240/26.03.14	Optiplex GX280 repair & visit charges including all diagnostic charges	9	08.07.14	793163	08.07.14	1800
6	M/s New Universal Type Service Center Nahan. Bill no. 355/08.05.14	5no. fax roll of fax machine	9	08.07.14	793164	08.07.14	500
7	M/s New Universal Type Service Center Nahan. Bill no. 425/16.06.14	Monitor repair@/mother board repair, CPU & window loading	9	08.07.14	793167	08.07.14	2230
8	M/s Thakur communications Nahan. Bill no. 24/08.05.14	HP Laserjet printer toner cartridge 78A no.	9	08.07.14	793165	08.07.14	3885
9	M/s Thakur communications Nahan. Bill no.	HP colour cartridge original=1no.	9	08.07.14	793166	08.07.14	1525 4800

	42/24.05.14	HP cartridge original 51no.=3no.					
10	M/s Thakur communications Nahan. Bill no. 66/16.06.14	Original Acer Laptop bag=1no.	9	08.07.14	793168	08.07.14	1575

9 विविध

ई–गर्वनेस सोसाईटी (RLA) संगडाह निधि से केन्द्रीय ईकाई नाहन को समय–समय पर भेजी गई 75% हिस्से की राशि तथा केन्द्रीय ईकाई नाहन में समय–सयम पर (RLA) संगडाह को भेजी गई राशि तथा स्टॉक की अन्य मदों मिलान केन्द्रीय ईकाई से मिलान नहीं किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में अपेक्षित कार्रवाई करके केन्द्रीय ईकाई नाहन से किया गया मिलान का प्रमाण पत्र किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 लघु आपत्ति विवरणिकाः– सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था। अतः यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी।

11 निष्कर्षः– लेखों में सुधार तथा सम्बन्धित अभिलेख को समय–समय पर अध्यतन (Updation) एवम पूर्ण करने की नितान्त आवष्यकता है, ताकि सोसाईटी निधि का नियमानुसार सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii)53/2015 खण्ड–1–768–771, दिनांक, 2.2.16 शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृतः–1 उप मण्डल अधिकारी नागरिक एवं सचिव ई–गर्वनेस आर0एल0ए0 संगड़ाह, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश एवं अध्यक्ष ई–गर्वनेस सोसाईटी नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

3 निदेशक, परिवहन विभाग हि0प्र0 शिमला–171003

4 विशेष सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–171002

हस्ता/–
उप निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.